Witness No. 2 For अभियोजन साक्षी Deposition taken

the 23.02.2024 day of शुक्रवार Witness's apparent age 28 साल

States on affirmation शपथपूर्वक my name is लक्ष्मी प्रसाद

son of श्री छेदीलाल occupation मजदूरी

addres कृषि ग्राम सपोस, थाना डभरा, जिला– सक्ती, छत्तीसगढ़

Case No. 770/2022

आज दिनाँक 23.02.2024 को समय 12.02 बजे साक्षी को शपथ दिलाकर उसका परीक्षण प्रारंभ किया गया।

मुख्यपरीक्षण द्वारा श्री इन्द्रनील कांत उंजन ए.डी.पी.ओ.

1. मै न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को जानता हूँ, क्योकि वह मेरे गांव मेढापाली का निवासी है। घटना के बारे मे मुझे कोई जानकारी नहीं है। मै गांव के पान ठेला के पास खडा था, तभी पुलिस वाले वहां आये थे और मुझसे कुछ दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करवाये थे। हस्ताक्षर क्यो करवाये थे कारण नहीं बताये थे। उक्त हस्ताक्षर मैने पुलिस वाले के कहने पर किया था। पुलिस वाले के द्वारा मेरे समक्ष कोई कार्यवाही नहीं किया गया था।
2. धारा 160 द.प्र.सं. का नोटिस प्र.पी.1, जप्ती पत्रक पंचनामा प्र.पी.2 एवँ गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.3 है जिसके क्रमशः ब से ब भाग पर मेरा हस्ताक्षर है।

नोट– इसी स्तर पर अभियोजन अधिकारी के द्वारा अपने गवाह से प्रतिपरीक्षण स्वरुप के प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही गई, सुना गया, गवाह के कथन एवँ अभिलेख का अवलोकन करने के उपरान्त साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत प्रतिपरीक्षण स्वरुप प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की गई।

3. यह कहना गलत है कि दिनांक 05.11.2022 को ग्राम मेढापाली में आरोपी के कोलाबाडी से एक सफेद रंग के प्लास्टिक के जरीकेन में भरी 4 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब पुलिस वाले के द्वारा मेरे समक्ष जप्त किये थे।

4. साक्षी को उसका बयान प्र.पी.5 के अ से अ भाग "दिनाँक 05.11.2022 -------किया हूँ।" पढकर सुनाये जाने पर अपना कथन होना अस्वीकार किया।
5. मै कक्षा पांचवीं तक पढा लिखा हूँ, मुझे इस बात की जानकारी है किसी भी दस्तावेज को पढकर समझकर हस्ताक्षर करना चाहिए।
6. यह कहना गलत है कि आरोपी को जानता हूँ इसलिए आज न्यायालय मे सही बात नहीं बता रहा हूँ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री आर जे थवाईत अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त

7. यह कहना सही है कि मेरे समक्ष पुलिस वालों ने कोई कार्यवाही नहीं किये थे केवल मैने कुछ कोरे कागजो पर हस्ताक्षर किया था।

साक्ष्य समाप्ति समय 12.10 पी.एम.

गवाह को बयान पढ़कर सुनाया सही होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

....

सही/-
(रवि कुमार महोबिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डभरा
जिला-जाँजगीर चाँपा (छ.ग.)

सही/-
(रवि कुमार महोबिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डभरा
जिला-जाँजगीर चाँपा (छ.ग.)